डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
डिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

| वर्ष 63 | अंक 02 | भोपाल | 16 जून, 2019 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों के लिए बेरोजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यानिकी फसलों के लिए उपयोग का अधिकार देने का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री नाथ मंत्रालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे।

बेरोजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शासकीय भूमि उपयोग का अधिकार देकर उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर मालिकाना हक सरकार का होगा। समय विशेष के लिए इस भूमि के उपयोग का अधिकार देकर युवाओं को ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो नगदीं हैं और युवाओं को कम समय में लाभ दे सकती हैं।

स्व–सहायता समूहों को 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व–सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को 24 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 12 प्रतिशत करने को कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा ब्याज दर के कारण कई स्व–सहायता समूह लाभ के बजाए कर्जदार हो जाते हैं। उन्होंने वर्तमान में स्व–सहायता समूहों पर कर्ज भार का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

आवासहीनों को पट्टा वितरण

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और आवासहीनों को आवासीय पट्टा देकर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने को कहा। श्री नाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में आवासहीनों को पट्टा वितरण का अभियान चलाया जाए। उन्होंने समय–सीमा में इसकी योजना तैयार करने को कहा।

रूचि के हिसाब से मध्यान्ह भोजन

मुख्यमंत्री ने मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों को रूचिकर भोजन देने को कहा। उन्होंने कहा कि पौष्टिकता के साथ बच्चों की खाने की रूचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे उन्हें पौष्टिक तत्व मिल सकें!

मजरे–टोले बनेंगे राजस्व ग्राम

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मजरे–टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे हम राज्य और केन्द्र की योजनाओं का लाभ वहाँ के रहवासियों को दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रख–रखाव के लिए स्थायी नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेक होम राशन के मामले में व्यवहारिक नीति बनाने को कहा ताकि इसे सफल बनाया जा सके।

रोजगार देना सुनिश्चित करें

श्री नाथ ने कहा कि कौशल विकास में दिये जाने वाले प्रशिक्षण संख्या आधारित होने के बजाए रोजगार आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ लक्ष्य पूरा करने पर नहीं बल्कि रोजगार सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में कितने प्रशिक्षित लोगों को रोजगार मिला, इसका भी आकलन करवाया जाए।

जल–संरक्षण पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने स्वच्छता मिशन में ओ.डी.एफ. घोषित गाँव की वास्तविकता का पता लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल–संरक्षण के काम पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी बचाने और पानी को संरक्षित करने की योजनाएँ सफल हों और जन–प्रतिनिधियों और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान किया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह, सचिव श्री उमाकांत उमराव एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि एवं सहकारिता विभाग की बैठक सम्पन्न

सतना। प्रमुख सचिव कृषि एवं सहकारिता श्री अजीत केसरी ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के सभागार में सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक में खाद के अग्रिम भण्डारण समेत बीज की उपलब्धता, गेंहू उपार्जन के परिवहन एवं भंडारण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में संचालक कृषि श्री मुकेश शुक्ला ने किसानों को खाद एवं बीज की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा भी की गई।

बैठक में प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक प्रदीप नीखरा, अरबिन्द सिंह सेंगर, बीज संघ के एमडी आर. के. शर्मा, सचिव विपणन संघ पी.एस. तिवारी के अलावा रीवा एवं शहडोल संभाग के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों के महाप्रबंधक उपस्थित थे।

किसान ले सकते हैं नया लोन, लोन माफी प्रक्रिया बाधा नहीं

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने हर हाल में किसानों की कर्ज माफी करने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने के निर्देश दिये हैं।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में जिन किसानों की लोन माफी हो रही है वे कृषि संबंधी कार्यों के लिये जरूरत अनुसार नया लोन ले सकते हैं। नया लोन लेने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व के वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही उन्हें लोन मिलेगा। नया लोन लेने से लोन माफी की राशि या उनकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आयेगा। किसान अपने ऋण का नवीनीकरण भी करा सकते हैं।

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बैंकों के नोड्यूज प्रमाण –पत्र और भूमि बंधक मुक्त कराये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। अपेक्स बैंक की ओर से भी ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं। इस संबंध में जिला स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहना चाहिए। बैंक अपने स्तर पर ऋण वितरण करें और कृषि आदान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

राज्य शासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे किसान, जिनके चालू ऋण खाते रुपये 50,000 से अधिक हैं तथा नान–परफार्मिंग असेट रुपये दो लाख से अधिक हैं और जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में उनके प्रकरण स्वीकृत नहीं हुए हैं, के प्रकरणों की स्वीकृति की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रामाणिक रूचि वाले संभावनाशील निवेशकों से करें चर्चा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने की प्रस्तावित निवेश समिट के स्वरूप और तैयारियों की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिये अनूकूल परिस्थितियों के चलते वास्तविक और संभावनाशील ऐसे निवेशकों से संवाद किया जाये, जो मध्यप्रदेश में निवेश में प्रामाणिक रूचि दिखायें। मुख्यमंत्री मंत्रालय में आगामी अक्टूबर माह में प्रस्तावित निवेश समिट के स्वरूप और तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ निवेश संबंधी योजनाएँ बनाने और प्रचार के लिये सम्मेलन या समिट करने की रस्म अदायगी करना काफी नहीं है। इसमें राज्य के धन और अधिकारियों के कीमती समय तथा ऊर्जा के समुचित उपयोग और परिणाम पर ध्यान देना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक सम्मेलन से पहले भी संवाद सत्रों का आयोजन कर प्रामाणिक निवेशकों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि निवेश के नये क्षेत्रों, जैसे फार्मास्युटिकल रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को भी ध्यान में रखा जाये। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नये दौर में निवेशकों की बदली हुई प्राथमिकताओं का ध्यान भी रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश का अनुमान लगाने के बजाय ठोस धरातल पर बात कर आगे बढ़ना होगा।

बताया गया कि पिछली कई इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों ने जितनी राशि के निवेश का वादा किया था, उतना निवेश नहीं आया। बड़े निवेश का दावा करने वाले कुछ निवेशक समूह तो दीवालिया होने की स्थिति में पहुँच गये। अगंभीर निवेशकों से संवाद समय और धन की बर्बादी है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री तरूण भानोट, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग डॉ. राजेश राजौरा और संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

उद्यानिकी गतिविधियों का किया जाए विस्तार : कृषि उत्पादन आयुक्त

कृषि उत्पादन आयुक्त ने रबी 2018–19 की समीक्षा तथा खरीफ 2019 की तैयारी बैठक में दिए निर्देश

रीवा। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने रीवा एवं शहडोल संभाग में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इन संभागों में उद्यानिकी गतिविधियों का विस्तार किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पानी के अभाव में निष्क्रिय पडी उद्यान विभाग की नर्सरियों को मनरेगा से कूप बनाकर अथवा सांसद निधि या विधायक निधि से ट्यूबवेल खनन कराकर नर्सरियों को सक्रिय किया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त सतना के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रीवा एवं शहडोल संभाग की रबी 2018–19 की समीक्षा एवं खरीफ 2019 की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि एवं सहकारिता श्री अजीत केसरी, संचालक कृषि श्री मुकेश शुक्ला, आयुक्त उद्यानिकी श्री कवीन्द्र कियावत, संचालक अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी, रीवा संभागायुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव तथा कलेक्टर जिला सतना रीवा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया एवं अनूपपुर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि एवं उद्यानिकी विषयों पर केन्द्रित प्रथम सत्र की समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कलेक्टरों से कहा कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ बैठकर मनरेगा के माध्यम से उद्यानिकी क्षेत्र का विस्तार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उन्हें विशेष रूप से उद्यानिकी गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने उपस्थित सभी उप संचालक उद्यानिकी से कहा कि वे उद्यानिकी गतिविधियों को बढाने में जो कमियां हों, उनको शीघ्र दूर करने की कोशिश करें।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने उद्यानिकी फसलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के कलेक्टरों को निर्देश दिए। उन्होंने संभागायुक्त रीवा से कहा कि उद्यानिकी क्षेत्र में शासकीय अनुदान से बनाए गए पॉली हाउसों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि क्या वास्तव में ढंग से पॉली हाउसों का निर्माण कराया गया है और यह सक्रिय हैं भी या नहीं। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कलेक्टरों से कहा कि जब आपके पास विजन है, एप्रोच है तो वहां उद्यानिकी के कार्य अवश्य कराएं। उद्यानिकी गतिविधियों को लेकर जहां जो कमी है, उसको जल्द दूर किया जाए। उन्होंने निजी स्त्रोतों की तुलना में अनुदान देकर भी अपेक्षित कार्य ना होने पर असंतोष जताते हुए अनुदान के अधिक से अधिक कार्य कराने के निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कृषि की समीक्षा के दौरान खेती एवं सिंचाई की पद्धति को सही करने और खरीफ का रकबा बढाने पर जोर दिया। उन्होंने लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि हमारी माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए, तभी हम लक्ष्य की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों को फसल बीमा योजना का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव कृषि एवं सहकारिता श्री अजीत केसरी ने कहा कि बीमा भुगतान में आने वाले राज्य स्तरीय मुद्दे राज्य स्तर पर तथा स्थानीय स्तर के मुद्दों को स्थानीय स्तर पर हल किया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने राज्य स्तरीय मुद्दों को भोपाल भिजवाने और स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर से निराकृत कराने के संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों एवं उप संचालकों कृषि को निर्देश दिए कि वे उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज के अधिक से अधिक नमूने लेकर उनकी जांच कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने खेती–किसानी में टैक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर विभाग से किसानों को अनुदान मंजूर हो जाए, तो उसका अनिवार्यतरू वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए।

उद्यानिकी फसलों का होगा विस्तार, संभागायुक्त ने दिलाया भरोसा – संभागायुक्त रीवा डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने रीवा संभाग में उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार की संभावना को रेखांकित करते हुए संभाग में उद्यानिकी फसलों का विस्तार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों से किसानों को उद्यानिकी फसलों की जानकारी दिलवाई जाएगी और उन्हें अधिक से अधिक उद्यानिकी फसलें लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रीवा संभाग में उद्यानिकी फसलों को राजस्व रिकार्ड में लिया जाएगा। साथ ही पॉली हाउसों का भौतिक सत्यापान कराया जाएगा। छोटी–छोटी जोतों पर सब्जी का उत्पादन लेने हेतु किसानों को प्रेरित किया जाएगा।

संचालक कृषि श्री मुकेश शुक्ला ने कलेक्टरों से कहा कि वे अपने उप संचालक कृषि के साथ बैठकर पहले आगामी फसलों के लक्ष्यों एवं उत्पादकता का मंथन कर लें। उन्होंने फसल बीमा योजना में अऋणी किसानों के लिए और काम करने की जरूरत जताई। उन्होंने खरीफ में उर्वरक के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

संचालक अभियांत्रिकी ने बताया कि प्रदेश में फसल अवशेषों (नरवाई) में आग लगाने को प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए बाकायदा अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक किया जाए तथा नरवाई से बचने हेतु उनसे उन्नत कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कराया जाए।

किसानों को सोलर पम्प योजना से लाभान्वित करने बनायें कॉल–सेंटर्स

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा में निर्देश दिये कि सोलर पम्प योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने के लिये कॉल–सेंटर्स बनायें। किसानों की शिकायतों के तत्परता से निराकरण के साथ ही उनके सुझावों पर अमल भी किया जाये।मंत्री श्री यादव ने कहा कि राज्य एवं केन्द्र शासन के सभी शासकीय कार्यालयों में रूफटॉप सोलर एनर्जी यूनिट स्थापित करने के लिये अभियान चलाया जाये। प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने रेस्को परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में लेक व्यू रोड स्थित पम्प हाउस के सौर ऊर्जा से संचालन का कार्य शीघ्र पूरा किया जा रहा है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास सबसे ज्यादा जरूरी

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार के सुनिश्चित अवसर मिलें। इसके लिए प्रदेश में नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड गठित करने पर विचार किया जाएगा। श्री नाथ मंत्रालय में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास केवल रस्म अदायगी न हो। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फैकल्टी पर विशेष ध्यान दें। कौशल विकास के क्षेत्र में भी हमें उन फैकल्टी पर विशेष ध्यान देना है जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में संख्या बल पर ध्यान देने की बजाए इस बात का निरंतर आकलन करना है कि उनमें से कितनों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए विभाग स्वयं के आर्थिक स्त्रोत विकसित करें। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट–सोशल रिसोर्स का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की दिशा में लक्ष्य आधारित रणनीति बनाकर उस पर अमल के लिये उद्योगों से संपर्क किया जाये।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापार की ऐसी स्थानीय आवश्यकताओं का भी अध्ययन किया जाए, जो शिक्षित, प्रशिक्षित युवाओं को तत्काल रोजगार दे सकें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को रजिस्टर्ड कर उनमें से बेहतर कोचिंग संस्थानों का युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम बनाने में उपयोग करने को कहा।

बैठक में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र के नीतिगत विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों पर भर्ती, स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना, कॉमन केरियर पोर्टल, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, आई. आई.टी. एवं आई.आई.एम. जैसे उत्कृष्ट संस्थान बनाने, आदिवासी बहुल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रास एनरोलमेंट रेशो (जीईआर) बढ़ाने और निजी कोचिंग स्थानों से पी.पी.पी. मॉडल पर विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध करवाने के संबंध में तत्काल विस्तृत कार्य–योजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती सलीना सिंह, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे।

एकीकृत कृषि विकास योजना अपनाकर कृषक की आय बढ़ायें

रबी समीक्षा और खरीफ कार्यक्रम निर्धारण बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त

जबलपुर। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त प्रभांशु कमल ने निर्देश दिये हैं कि उन्नत कृषि तकनीक, सिंचाई आदि सुविधाओं का समुचित उपयोग कर खरीफ फसलों का रकबा बढ़ाया जाय। कृषि के लिये उपलब्ध सम्पूर्ण भूमि का उपयोग सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके लिये नवीन कृषि पद्धति और वैज्ञानिक सलाह को अमल में लाने के लिये कहा। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना से किसानों के फसल ऋण माफ हुए हैं। किसानों को लाभ मिला है । योजना का दूसरा चरण शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने निर्देश दिये कि इस योजना का लाभ गरीब कृषकों को प्राथमिकता से मिले।

कृषि उत्पादन आयुक्त जबलपुर में रबी 2018–19 की समीक्षा और खरीफ 2019 के कार्यक्रम निर्धारण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में संभागायुक्त राजेश बहुगुणा, कृषि सचिव मुकेश शुक्ला, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, कृषि वैज्ञानिक, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक प्रदीप नीखरा, और कृषि से जुड़े विभाग के विभागाध्यक्ष, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, प्रबंध संचालक बीज निगम और जबलपुर जिले के कलेक्टर भरत यादव सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, कृषि और संबंधित विभागों के जिला और संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

संभागायुक्त राजेश बहुगुणा ने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप कृषि से कृषकों की आय को दुगना करने के लिये कृषि, पशुपालन, मत्स्य और अन्य कृषि गतिविधियों पर आधारित समन्वित कृषि के विकास को जबलपुर संभाग में प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषकों को कृषि संबंधी कार्य वर्ष के 120 दिन ही रहता है। कोशिश हो रही है कि कृषक अधिकतम 250 दिनों तक उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन और अन्य गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकें। इसके लिये कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है कि वे कृषकों का चयन कर उनकी आय बढ़ाने और कृषि विकास के माइक्रो प्लान को अमल में लाएं। इस वर्ष करीब पांच हजार से अधिक किसान इस कार्यक्रम तहत जोड़ने की योजना है।

संभागायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी स्तर पर कृषि फेकल्टी द्वारा कृषि विकास एवं उन्नत कृषि आदि की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। यदि हर पंचायत में एक युवा प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो वह उन्नत ढंग से कृषि कर अन्य किसानों के लिये प्रेरणा बनेगा।

संभागायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्रों में अचार आदि के पौधे रोप कर ड्राफटिंग की नयी तकनीक से उनसे कम वर्षों में उत्पादन प्रापत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में 100 पौधे रोप कर इस दिशा में कार्य शुरू किया जा रहा है। संभागायुक्त ने उन्नत कृषि यंत्रों का लाभ कृषकों तक पहुंचाने के लिये कृषि यंत्रों की ऑनलाइन व्यवस्था को और सरलीकृत बनाने पर जोर दिया। संभागायुक्त ने सिंचाई पंपों की गरीब किसान तक पहुंच बढ़ाने तथा डिंडौरी, मंडला जिलों में किसानों को कृषि में अधिक सहूलियत दिलाने अनेक उपयोगी सुझाव दिये।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिये कि प्रमाणिक बीज का ही उपयोग किया जाय। सर्वप्रथम उन्नत बीज की व्यवस्था करने वाली सरकारी संस्थाओं से बीज क्रय कर कृषकों तक पहुंचाया जाय। उन्होंने अमानक खाद–बीज और अन्य आदान कृषि सामग्री की बिक्री करने वाले निजी विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये । बैठक में जैविक खाद को बढ़ावा देने और जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। मृदा की रासायनिक संरचना के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने के लिये कृषिकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गये। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिसेन ने बताया कि विश्वविद्यालय में जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिये कि उर्वरकों का अग्रिम भंडारण किया जा रहा है। इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिये।

बैठक में कृषि विकास तथा कृषि से आय दुगनी करने के लिये कार्ययोजना, जिले की परिस्थिति के अनुसार कृषि विकास की योजना, नवाचार प्लान अगले 12 दिनों में संभागायुक्त के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त तक पहुंचाने के निर्देश दिए गये।

आवासहीनों को शासकीय भूमि का पट्टा और घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल। प्रदेश में हर व्यक्ति को समुचित मात्रा में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए ष्जल अधिकारष् अधिनियम बनाया जाएगा। साथ ही शहरी आवासहीनों को शासकीय भूमि का पट्टा तथा उस पर आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन के जरिए जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में नगरीय विकास विभाग की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने विभाग से इस संबंध में अधिनियम का प्रारूप बनाने को कहा। बैठक में नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने के लिए मास्टर प्लान बनाते समय शहरों के विस्तार की संभावना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर शहरों के चारों ओर रिंग रोड की योजना आवश्यक रूप से बनाई जाए ताकि आने वाले समय में शहरों के अंदर यातायात का दबाव न बढ़े। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मिनी स्मार्ट सिटी नीति भी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति में मिनी स्मार्ट सिटी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये। श्री नाथ ने भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन एरिया विकसित करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने स्मार्ट सिटी योजनाओं में गति लाने के साथ मेट्रो रेल की योजना को भी शीघ्र ही मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास एवं मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर अमल में लाने को कहा। श्री नाथ ने शहरी आवासहीनों के आवास निर्माण के लिए शासन के पास उपलब्ध राशि के लिये नए वित्तीय मॉडल के मुताबिक योजना बनाने को कहा जिससे अधिक से अधिक आवासीय इकाइयाँ बन सकें और लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पूरी हुई जल प्रदाय और सीवेज सहित अन्य परियोजनाओं की वास्तविक उपलब्धियों (आउटकम एनालिसिस) का भी आकलन करने को कहा जिससे नागरिकों को मिले लाभ की जानकारी मिल सके। श्री नाथ ने स्वच्छ भारत मिशन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध नई वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर ही कर कचरे का निष्पादन करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि वर्षा ऋतु में वृहद् स्तर पर पौध–रोपण का कार्यक्रम बनाया जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध शासकीय भूमि की जानकारी एकत्र कर उनका उपयोग आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय द्वारा योजनाएँ बनाते समय उन पर व्यय होने वाली राशि का उपयोग नवीनतम वित्तीय मॉडल के अनुसार करने को कहा जिससे उपलब्ध राशि का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास उपस्थित थे।

प्रमुख बिन्दु

- शहरी आवासहीनों को शासकीय भूमि का पट्टा और आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
- शहरी क्षेत्र के हर घर में नल कनेक्शन होगा।
- जल अधिकार अधिनियम बनेगा।
- मिनी स्मार्ट सिटी नीति बनेगी।
- मास्टर प्लान ऐसा बने जिससे शहर के यातायात पर दबाव न पड़े।
- ठोस अपशिष्ट का निष्पादन स्थानीय स्तर पर हो। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाए।
- योजनाओं के क्रियान्वयन और मिलने वाले लाभ का आकलन हो।
- वर्षा ऋतु में व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया जाए।
- नागरिक सुविधाओं के लिए उपलब्ध राशि का अधिकतम उपयोग हो

2160 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल के क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य निर्धारित

कृषि उत्पादन आयुक्त ने उज्जैन संभाग की रबी फसल की समीक्षा एवं खरीफ की तैयारियों की बैठक ली

उज्जैन। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल की अध्यक्षता में उज्जैन संभाग की रबी 2018–19 की समीक्षा एवं खरीफ 2019 की तैयारियों को लेकर संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि इस बार खरीफ फसल में संभाग में कुल 2160 हजार हेक्टेयर में खरीफ का क्षेत्राच्छादन किया जायेगा। इसमें 1807 हजार हेक्टेयर सोयाबीन, 142 हजार हेक्टेयर में मक्का, 4.22 हजार हेक्टेयर में ज्वार, 1.11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 101.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द, 23.1 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग, 20.55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली, 6.15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तिलध्रामतिल तथा 31.60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास एवं अन्य फसलें बोई जायेंगी। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, संभागायुक्त श्री अजीत कुमार, सहकारिता आयुक्त श्री एमके अग्रवाल, बीज विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री रमेश भंडारी, संचालक कृषि श्री मुकेश शुक्ला, उज्जैन संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कृषि विभाग के उप संचालक मौजूद थे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने कहा कि संभाग के जिलों में देखा गया है कि कृषकों द्वारा रासायनिक खाद का अग्रिम उठाव नहीं किया गया है। सभी जिलों के कलेक्टर अपने–अपने जिलों में अग्रिम उठाव योजना का प्रचार–प्रसार करें एवं इसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारणों की समीक्षा करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिये विभिन्न उपायों की सतत समीक्षा की जाये एवं कृषि में उन्नत तकनीक, रासायनिक उर्वरक, खेती की लागत को कम करने जैसे उपायों पर जोर दिया जाये। उन्होंने खरीफ फसल में सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग करने का भी व्यापक प्रचार–प्रसार करने को कहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि सोयाबीन की उत्पादकता जब तक 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नहीं होगी, तब तक किसानों के लिये यह लाभकारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर जिलों में विभिन्न तकनीकों जिनमें रेस्ड बेड सिस्टम, उन्नत बीज आदि को अपनाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने साथ ही यह भी कहा कि खरीफ में सोयाबीन के विकल्प के रूप में अन्य फसलों का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए किसानों को विश्वास में लेकर फसल चक्र में परिवर्तन लाना चाहिये। उन्होंने दालों एवं मोटे अनाज के रकबे में बढौत्री के निर्देश दिये हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिये कि रासायनिक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के सेम्पल अमानक पाये जाने पर विभिन्न जिलों में कृषि उप संचालकों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वे अमानक सेम्पल पाये जाने पर सम्बन्धित कंपनी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवायें।

बैठक में बीज उपलब्धता की समीक्षा भी की गई तथा निर्देश दिये गये कि जिन जिलों में ज्वार, मक्का आदि के बीजों की कमी है वे पहले से अपनी मांग बीज निगम को भेज दें। बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग में खरीफ–2019 के लिये ज्वार के 341 क्विंटल, मक्का के 26280 क्विंटल, अरहर के 2247 क्विंटल, उड़द के 7438 क्विंटल, सोयाबीन के 429009 क्विंटल, मूंगफली के 554 क्विंटल, तिल के 51 क्विंटल बीज की आवश्यकता है। इसके विरूद्ध संभाग में ज्वार का 192 क्विंटल, मक्का का 12150 क्विंटल, अरहर का 924 क्विंटल, उड़द का 5493 क्विंटल, मूंग का 2761 क्विंटल, सोयाबीन का 487859 क्विंटल, मूंगफली का 133 क्विंटल, तिल का 20 क्विंटल तथा कपास का 415 क्विंटल बीज उपलब्ध है। संभाग में बीज की पर्याप्त उपलब्धता है।

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि आगर, नीमच, मंदसौर, देवास, रतलाम एवं शाजापुर जिलों में अऋणी कृषकों का बीमा अत्यधिक कम हुआ था, इसे इस वर्ष बढ़या जाये। उल्लेखनीय है कि संभाग में वर्ष 2018 में 781275 ऋणी कृषकों का तथा 15040 अऋणी कृषकों का बीमा करवाया गया। बैठक में फाल आर्मी वर्म के प्रति सतर्क रहने की हिदायत देते हुए जिन क्षेत्रों में मक्का, धान एवं ज्वार की फसलें अधिक ली जाती है, वहां पर कीट नियंत्रण हेतु विशेष नियंत्रण रखने के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा गया है।

रेशम उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित कर लाभान्वित करें

मंत्री श्री हर्ष यादव ने की सिल्क फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा

भोपाल। कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव ने मंत्रालय कक्ष में सिल्क फेडरेशन के संचालक मंडल की बैठक में फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा की। श्री यादव मध्यप्रदेश राज्य रेशम विकास एवं विपणन सहकारी संघ (सिल्क फेडरेशन) के अध्यक्ष भी हैं।

श्री यादव ने प्रदेश में फेडरेशन के विभिन्न शो रूम द्वारा किये जा रहे विक्रय, प्रदेश में हो रहे सिल्क उत्पाद, किसानों को ककून तैयार करने, धागा निकालने जैसे कार्यों के लिये दी जाने वाली सहायता और फेडरेशन द्वारा सिल्क प्रमोशन के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को किसानों की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से उनसे सतत् संपर्क कर रेशम उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश रेशम उत्पादन में देश के अग्रणी प्रांतों में है। कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश रेशम उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पाद विक्रय में काफी आगे है। फेडरेशन को उत्पादित ककून और धागों की गुणवत्ता और उपयोगिता वृद्धि पर निरन्तर ध्यान देना है। मंत्री श्री यादव ने शुद्ध रेशम से निर्मित वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिये भी कहा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग मो.सुलेमान ने फेडरेशन में ऑडिट कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मृगनयनी और अन्य एम्पोरियम पर रेशम वस्त्रों के स्टॉल स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। फेडरेशन के प्रबंध संचालक श्री विभाष ठाकुर ने गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में नवीन धागाकरण इकाइयों की स्थापना एवं रोजगार सृजन बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

सरप्लस बिजली के बाद भी कटौती बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री ने की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि सरप्लस बिजली होने के बाद भी कटौती होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को व्यवस्थागत कारणों से परेशानी हो तो सरकार इसे बिल्कुल भी नजरंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती बिल्कुल न हो और तकनीकी खराबियों को प्रशिक्षित अमला तत्काल ठीक करे। इसकी चाक–चौबंद व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जून माह में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ मंत्रालय में बिजली आपूर्ति और मौजूदा समस्याओं के संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि यह बेहद गंभीर है कि राज्य में पर्याप्त बिजली होने के बाद भी कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग को अपनी संपूर्ण कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं में आमूल–चूल परिवर्तन लाना होगा। बिजली उपकरणों की खरीदी में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। बेहतर उपकरण खरीदे जाएँ। इसके लिए उन्होंने बिजली वितरण, सुधार तथा हर स्तर पर तैनात अमले को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारी उन राज्यों में जाएँ जहाँ विद्युत आपूर्ति का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि तकनीकी खराबियों पर पूर्णतरू अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर तय समय सीमा में सुधार लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निम्न दाब विद्युत प्रणाली तथा उपभोक्ता के घरों में जाने वाले बिजली के कनेक्शन वाले विद्युत तारों का नियमित मेंटेनेंस किया जाए। उन्होंने मेंटेनेंस के लिए होने वाली कटौती की पूर्व सूचना देने और आम उपभोक्ता की सुविधा से समय निर्धारित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाते हुए उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए विद्युत मेंटेनेंस के उपकरणों का आधुनिकीकरण करके बिजली सुधार की प्रक्रिया को अधिक कार्यक्षम बनाएँ। श्री नाथ ने कहा कि मैदानी स्तर के सभी अधिकारी मेहनत और तत्परता के साथ जून माह तक सभी मेटेंनेंस के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें और विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केसरी एवं विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक सहित वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।

कृषक पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी से अपनी आय दुगुनी कर सकते हैं : श्री प्रमांशु

इंदौर। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री प्रभांशु कमल की अध्यक्षता में रेसीडेंसी सभाकक्ष में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स और सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री प्रभांशु कमल ने पशुपालन, कुक्कुट पालन, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं। प्रदेश के कृषक पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी के जरिये अपनी आय दुगुनी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, दृढ इच्छाशक्ति, पक्के इरादे से किसान अपनी किस्मत बदल सकते हैं और अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। किसान अपने व्यवसाय के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। बैठक को संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने भी सम्बोधित किया।

उन्होंने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इंदौर संभाग में फल, सब्जी, मसाले और औषधीय खेती की व्यापक संभावनाएँ हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा इस क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार के लिये न केवल अनुदान बल्कि तकनीक और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारी शासकीय नर्सरी का विस्तार और रखरखाव करें। नर्सरी के संधारण के लिये स्वसहायता समूह और मनरेगा योजना का भी सहयोग ले सकते हैं। प्रदेश के साथ–साथ इंदौर संभाग में भी वन विस्तार की बहुत अधिक आवश्यकता है। नमामि देवि नर्मदे योजना के तहत राज्य शासन नर्मदा नदी के किनारे इस पार और उस पार दो–दो किमी. वृक्षारोपण करना चाहता है। उद्यान विभाग की जिम्मेदारी यह भी है कि वह सस्ती दर पर वृक्षारोपण के लिये आम आदमी और शासकीय एजेंसियों को पौधे उपलब्ध करायें। उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में बीपीएल परिवारों को सब्जी के मुफ्त में बीज वितरित किये जाते हैं। किसानों को संरक्षित खेती के लिये पोलीहाउस, शेडनेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिये अनुदान प्रदान किया जायेगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि पशुपालन और डेयरी उद्योग से किसान अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। उन्हें उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करना होगा और पशुपालन से पहले चारे और पानी की व्यवस्था करना होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं के इलाज में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा पशुओं के इलाज की त्वरित सेवा के लिये पशु संजीवनी योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं की टैगिंग की जा रही है। हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर गौशाला खोली जा रही है। गौशाला का रखरखाव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिये आवश्यक बजट राज्य शासन द्वारा दे दिया गया है।

इस अवसर प्रमुख सचिव मत्स्य पालन श्री अश्विनी राय ने बताया कि प्रदेश में मछली पालन की व्यापक संभावनाएँ हैं। इससे किसानों की आय बढाई जा सकती है। प्रदेश में ऐसे कई मत्स्य कृषक हैं, जो एक लाख रूपये से अधिक प्रतिमाह कमाते हैं। मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर उनकी सक्सेस स्टोरी भी दर्ज है। बैठक में भी कई मत्स्य कृषकों ने अपनी सफलता की कहानी सुनायी। धार जिले के सुंद्रैल गाँव में एक किसान द्वारा व्यापक पैमाने पर मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा है। उसका टर्न ओवर चार करोड रूपये सालाना है और उसके पास 40 नौकर भी हैं। प्रदेश के सभी तालाबों में मछली पालन करके मत्स्य पालन चार गुना बड़ाया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उन्नत तकनीक आ गयी है। मत्स्य विभाग द्वारा इस उन्नत तकनीक का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस अवसर पर बैठक में बताया गया कि इंदौर संभाग में दुग्ध उत्पादन यानि श्वेत क्रांति की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्नत नस्ल के गाय–भैंस पाल कर किसान अपनी माली हालत सुधार सकते हैं। हर जिले में दुग्ध समितियों के गठन करने की जरूरत है। हर जिले में दुग्ध संघ द्वारा या निजी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग स्थापित करने की जरूरत है। डेयरी उद्योग के लिये कृत्रिम गर्भाधान, दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध संकलन, पशु आहार विक्रय जरूरी है। इंदौर जिले में दुग्ध उत्पादन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इंदौर साँची डेयरी की क्षमता का विस्तार किया जायेगा। खरगोन जिले में 400 दुग्ध समितियाँ काम कर रहीं हैं। इसी प्रकार धार जिले में 535 दुग्ध समितियाँ कार्यरत हैं।

कार्यक्रम को वरिष्ठ अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल, उद्यानिकी संचालक श्री कवीन्द्र कियावत ने भी सम्बोधित किया।

किसानों को आम का उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणावत्तायुक्त आम सुलभ कराने की पहल सराहनीय

कृषि मंत्री श्री यादव ने किया नाबार्ड के आम महोत्सव–02 का शुभारंभ

भोपाल। आम महोत्सव नाबार्ड की सराहनीय पहल है। इससे किसानों को आम की उपज का उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त जैविक पद्धति से उत्पादित आम सुलभ हो रहा है। यह बात किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य स्तरीय आम महोत्सव–02 प्रदर्शन सह– बिक्री प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कही।

राज्य स्तरीय आम महोत्सव–02 प्रदर्शन सह– बिक्री प्रदर्शनी 8 जून तक रहेगी। इसमें प्रदेश के 13 जिलों की नाबार्ड समर्थित बाड़ी परियोजनाओं एवं किसान उत्पादक संगठनों के विशेषकर आदिवासी किसानों द्वारा आम प्रेमियों को जैविक, कीटनाशक मुक्त और प्राकृतिक रूप से पके आमों की 10 सर्वाधिक लोकप्रिय किस्में प्रदर्शित की की गई है। इन किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, केसर, नीलम, फाजली, सुंदरजा, आम्रपाली और मल्लिका आम उचित दामों पर उपलब्ध हैं।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री संजय कुमार बंसल ने बताया कि प्रदेश के आदिवासी किसानों की बाड़ी के आम, जो जैविक खाद, कीटनाशकयुक्त तथा प्राकृतिक रूप से पकाये गये हैं, को उचित बाजार तथा आम प्रेमियों को गुणवत्तायुक्त आम सुलभ कराने के लिये महोत्सव किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आये आम उत्पादक कृषक तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश का सपना 'हर किसान-एक बागवान'

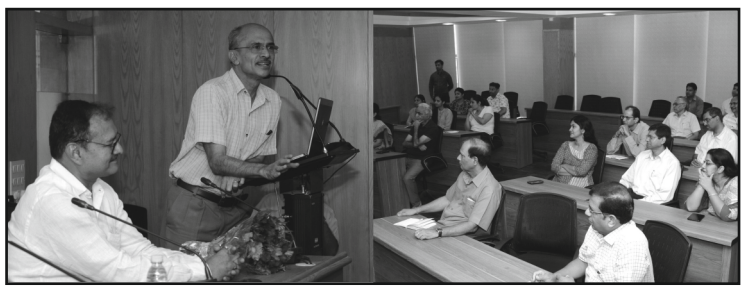

भोपाल। मध्यप्रदेश का सपना है हर किसान–एक बागवान। चेंज लीडर सृजन के सीईओ श्री प्रसन्न खेमरिया ने यह बात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एव नीति विश्लेषण संस्थान में व्याख्यान माला असरदार परिवर्तन टिकाऊ परिणाम में लर्निंग एण्ड चेलेंजेज फ्राम डाउन–सीजिंग हार्टिकल्चर मॉडल्स इन मध्यप्रदेश पर बोलते हुए कही।

संस्थान के महानिदेशक श्री आर. परशुराम ने कहा कि परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। उन्होंने कहाकि चेंज लीडर फोकस्ड और विजनरी होते हैं। उनमें लोगों को प्रेरित करने, माइंड सेट बदलने तथा सीमाओं से आगे बढ़कर कार्य करते की क्षमता होती है।

चेंज लीडर श्री खेमरिया ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे बगीचे के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के बारे में बताया उन्होंने बताया कि 3 साल में आम के पेड़ों में फल लगने लगते हैं। श्री खेमरिया ने कहा कि 40 से 80 तक आम के पेड़ों से लगभग 50 हजार रूपये तक की वार्षिक आय हो सकती है।

बगीचा बुढ़ापे का सहारा

श्री खेमरिया ने बताया कि बगीचों को पुरूष किसान आय का स्त्रोत और महिलाएँ इसे बुढ़ापे का सहारा मानती हैं। उनका कहना है कि उद्यानिकी के विकास के लिए जरूरी है कि एक किसान दूसरे किसान को अपनी सफलता के बारे में बताये। श्री खेमरिया ने कहा कि योजना की सफलता के लिये कोलेब्रेशन, कोआर्डिनेशन और कन्वर्जेस जरूरी है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़ और अनूपपुर के लगभग 122 ग्रामों में किसान फलोत्पादन का कार्य कर रहे हैं। अभी तक 7 हजार से अधिक फलदार पौधे लगाये जा चुके हैं। श्री विवेक शर्मा ने बाड़ी कार्यक्रम के बारे में बताया।

श्री खेमरिया ने श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। संस्थान के सलाहकार श्री गिरीश शर्मा ने व्याख्यान माला का संचालन किया। संस्थान के सलाहकार श्री एम.एम. उपाध्याय, श्री मंगेश त्यागी तथा अन्य अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित थे।

एन.डी.बी. की वित्तीय मदद से 1905 कि.मी. सड़कों के लिये 3250 करोड़ ऋण

भोपाल। प्रदेश में न्यू डेव्हलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) की वित्तीय सहायता से 3 हजार 250 करोड़ की लागत की 1905 किलोमीटर सड़कें बनायी जायेगी। इसमें से 1722 किलोमीटर सड़कों, लागत रुपये 2427 करोड़, के निर्माण कार्यों की लोक निर्माण विभाग ने निविदाएँ मंजूर कर ली हैं। शेष 183 किलोमीटर सड़कों, लागत 279 करोड़ रुपये, की निविदाओं की स्वीकृति की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रदेश में केंद्रीय सड़क निधि योजना में 2324 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण के 46 कार्य प्रगति पर हैं। इस निधि में 183 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने इस वर्ष केंद्रीय सड़क निधि के 23 नये कार्यों को मंजूरी दी है। यह कार्य 314 किलोमीटर सड़कों के हैं। इनके लिये विभाग ने 1992 करोड़ रुपये की निविदाएँ स्वीकृत की हैं।

इस वर्ष 2000 कि.मी. जिला मार्ग बनेंगे

प्रदेश में जिला मार्गों के वर्षों से लंबित रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किये जाने के लिये लोक निर्माण विभाग ने कार्य–योजना तैयार कर ली है। वर्ष 2019–20 में प्रदेश में करीब 2000 किलोमीटर जिला मार्ग के निर्माण और उन्नयन का कार्य किया जाएगा। जिला मार्ग के 144 कार्य, लागत करीब 922 करोड़, की निविदाओं को मंजूर कर जल्द काम शुरू किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग वर्ष 2019–20 में सड़क कार्यों के अंतर्गत करीब 2500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण करेगा तथा सभी कार्यों को आगामी दो वर्षों में पूरा किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने आगामी दो वर्षों सड़क निर्माण के कार्यों को निश्चित समय–सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किये जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं।

मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित

भोपाल। प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त 2019 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मत्स्य प्रजजन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लिया गया है उन पर मत्स्याखेट निषेध का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सोयाबीन फसल लेने वाले किसानों के लिए उपयोगी सलाह

झाबुआ। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग झाबुआ द्वारा जिले के सोयाबीन फसल उत्पादन करने वाले किसानों के लिये उपयोगी सलाह जारी की गई है। उप संचालक कृषि श्री त्रिवेदी ने बताया कि जिन किसानों ने विगत 2–3 वर्षों से खेतों की गहरी जुताई नहीं करवाई हो तो खेतों की गहरी जुताई अवश्य करवाये, इसके बाद बख्खर/कल्टिवेटर एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार करे। अंतिम बखरनी से पूर्व गोबर खाद (10 टन/हैक्टर) या मुर्गी की खाद (2.5 टन/हैक्टर) की दर से डालकर खेत में फैलादे, अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित सोयाबीन किस्मों में से उपयुक्त किस्म का चयन कर बीज की उपलब्धता अभी सुनिश्चित कर लें, उपलब्ध सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण (न्यूनतम 70 प्रतिशत) सुनिश्चित करे। बौवनी के समय आवश्यक आदान जैसे उर्वरक, खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक, जैविक कल्चर आदि का क्रय कर उपलब्धता सुनिश्चत करें। पीला मोजाईक बीमारी की रोकथाम हेतु अनुशंसित कीटनाशक थायोमिथक्सम 30 एफ.एस. (10 मिली/कि.ग्रा. बीज) या इमिडाक्लोप्रिड 48 एफ.एस. (1.2 मि.ली./कि.ग्रा. बीज) से बीज उपचार करने हेतु क्रय/उपलब्धता सुनिश्चित करें। वर्षा के आगमन के पश्चात, सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयुक्त समय है। सुखे खेत में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नही करें। मानसून के आगमन से पूर्व रासायनिक उर्वरको का प्रयोग नही करें।

कराहल में महिलाएँ कर रही है सब्जी और फूलों की खेती

भोपाल। श्योपुर जिले में आदिवासी विकासखण्ड कराहल की महिलाएँ आजीविका मिशन से जुड़कर जिंदगी को नयी दिशा दे रही हैं। मिशन के कर्मचारियों की समझाइश पर 32 गाँव की महिलाएँ 315 स्व–सहायता समूह बनाकर फल–फूल और सब्जी उगाकर भरपूर उत्पादन कर तरक्की की ओर अग्रसर हैं। आजीविका मिशन ने तीन संकुल के 32 ग्राम में 113 नल–कूप खनन कर 1633 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे 1307 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

किसानों के खाते में जमा करायें उपार्जित गेहूँ की राशि

मंत्री श्री राठौर ने टीकमगढ़ में की विकास कार्यों की समीक्षा

भोपाल। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने टीकमगढ़ में जिला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री राठौर ने निर्देश दिये कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में शत–प्रतिशत पात्र किसानों के खाते में उपार्जित गेहूँ की राशि जमा हो, यह सुनिश्चित किया जाये। किसान परेशान नहीं हों, इसका ख्याल रखा जाये और औचक जाँच भी करायें।

मंत्री श्री राठौर ने कहा कि अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों को शासन की जन–कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलायें। किसानों को खाद, पानी और बिजली समय पर पर्याप्त मात्रा में मिले, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई समस्या होने पर सीधे मुझे फोन करें, जिससे तत्काल समाधान किया जा सके। श्री राठौर ने कहा कि जहाँ पेयजल की समस्या है, वहाँ सबसे पहले पूर्ति करायें। समस्या के निदान के लिये स्थायी कार्य–योजना बनायें।

प्रदेश में उद्योगों और व्यापार के विस्तार के लिये मित्रवत वातावरण

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से कैट प्रतिनिधि–मण्डल की भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से मंत्रालय में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (कैट) के प्रतिनिधि–मण्डल ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों और व्यापार के विस्तार के लिये मित्रवत वातावरण है, जिसे निरन्तर आगे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री कमल नाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने वचन पत्र में उद्योगों और व्यापार के बारे में जो वादे किये हैं, उन्हें पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास है, जिसके महत्वपूर्ण आधार उद्योग और व्यापार हैं। इन क्षेत्रों को उन्नतिशील बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।

प्रतिनिधि–मंडल में कैट के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र जैन, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम माहेश्वरी, प्रदेश महामंत्री श्री मुकेश अग्रवाल, भोपाल संभागीय अध्यक्ष श्री रामबाबू शर्मा, उपाध्यक्ष श्री अंशु गुप्ता, संयुक्त सचिव श्री मनोज चौरसिया, श्री अविचल जैन, श्री यशोधर सोनी, श्री संजय कूपर, श्री सुशील सुराना और श्री मुरली हिरानी आदि उपस्थित थे।

नरेगा में ऑनलाईन प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे सरपंच– मंत्री श्री पटेल

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि अब संरपंच नरेगा योजना में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाईन जारी करेंगे। निर्माण कार्यों की प्राक्कलन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल 2019 से सिक्यूर (SECURE) साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सामुदायिक पेयजल कूप (निर्मल नीर) तथा ग्रामीण अंचल में शांतिधाम निर्माण के लिए स्टेण्डर्ड प्राक्कलन और डिजाइन उपलब्ध है। सामुदायिक पेयजल कूप के लिये 4 लाख 46 हजार, 5 लाख 34 हजार और शांतिधाम के लिए 1 लाख 92 हजार और 2 लाख 80 हजार लागत के दो–दो मानक प्राक्कलन निर्धारित किये गये हैं। साफ्टवेयर के अनुसार रोजगार सहायक/उप यंत्री द्वारा ले–आऊट दिया जाएगा। उप यंत्री प्राक्कलन तैयार करेंगे, सहायक यंत्री द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी तथा सरपंच प्रशासकीय स्वीकृति देंगे। सभी कार्यों की समय–सीमा का निर्धारण भी किया गया है।

ई–ऑफिस परियोजना क्रियान्वयन समिति गठित

भोपाल। राज्य सरकार ने ई–ऑफिस परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय परियोजना स्टीयरिंग समिति गठित की है। समिति के सदस्यों में प्रमुख सचिव (कार्मिक) सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन, प्रमुख सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और राज्य सूचना अधिकारी एनआइसी शामिल रहेंगे। उप सचिव सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

भोपाल में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान–प्रबंधन केन्द्र

भोपाल। राज्य शासन ने एप्को में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान–प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की है। यह केन्द्र भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन ज्ञान–प्रबंधन की गतिविधियों का मुख्य आधार जलवायु परिवर्तन से संबंधित नवीन ज्ञान का सृजन, जानकारियाँ एवं सूचना का संकलन विभिन्न हित–धारकों को उपलब्ध कराना है।

पंजाब में मध्यप्रदेश की तर्ज पर होगी टेक होम राशन वितरण व्यवस्था

भोपाल। पंजाब सरकार भी मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर अपने प्रदेश में स्व–सहायता समूह के माध्यम से आँगनवाड़ी केन्द्रों के लिए पूरक पोषण आहार तैयार कराएगी । पंजाब सरकार के आजीविका मिशन दल ने गत दिवस देवास जिले के खटाम्बा में टेक होम राशन प्लांट का भ्रमण करते हुए यह बात कही।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री अजय शर्मा ने बताया कि पंजाब के दल ने प्लांट की स्थापना के लिए सर्टिफिकेशन, स्टाक, संरचना सहित सम्पूर्ण कार्य–प्रणाली की जानकारी प्राप्त की । दल को देवास के जिला प्रबंधक ने संस्थागत विकास सहायता समूहों की भूमिका और भागीदारी की जानकारी दी।

आपराधिक प्रकरणों को लोकहित में वापस लेने त्वरित कार्यवाही हो

भोपाल। गृह मंत्री श्री बाला बच्चन और विधि–विधायी मंत्री श्री पी. सी.शर्मा ने मंत्रालय में उच्च–स्तरीय बैठक में आपराधिक प्रकरणों, विशेषकर धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन संबंधी प्रकरणों की लोकहित में वापसी संबंधी समीक्षा की। प्रकरणों में वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर त्वरित कार्यवाही करने को कहा गया। उल्लेखनीय है कि लोकहित में उपरोक्त प्रकरणों को वापस लेने के लिये जिला–स्तर पर गठित समितियों को विचार–विमर्श कर अपनी अनुशंसाओं को अविलंब शासन के समक्ष विचारार्थ भेजने के लिये कहा गया है।

बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव विधि–विधायी श्री सत्येन्द्र सिंह, संचालक लोक अभियोजन श्री राजेन्द्र कुमार, सचिव गृह श्री शाहिद अबसार और उप सचिव श्रीमती अंजू भदौरिया उपस्थित थी।

प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी के तबादले

भोपाल। प्रदेश में राज्य स्तरीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानान्तरण आदेश अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर करेंगे। स्थानान्तरण पर प्रतिबंध की अवधि में तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अन्दर और जिला स्तर संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर प्रशासकीय दृष्टि से स्थानान्तरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी होंगे।

वन–राजस्व भूमि निपटारे के लिये टॉस्क फोर्स गठित

भोपाल। राज्य शासन ने वन और राजस्व विभाग के मध्य भूमि विवाद के प्रकरणों के निपटारे के लिये टॉस्क फोर्स गठित की है। अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति चार माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति के सदस्यों में प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य, अपर मुख्य सचिव वन द्वारा नामांकित वन विभाग के 3 सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकतम 2 सदस्य, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य द्वारा नामांकित एक सदस्य शामिल है। अशासकीय सदस्यों में पूर्व विधायक श्री के.के. सिंह और डॉ. रोहिणी चतुर्वेदी को शामिल किया गया है।

अमानक बीज एवं खाद्य रखने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें : श्री प्रभांशु कमल

कृषि उत्पादन आयुक्त ने रबी फसल की समीक्षा एवं खरीफ की तैयारियों की बैठक ली

सागर। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल की अध्यक्षता में सागर संभाग की रबी 2018–19 की समीक्षा एवं खरीफ 2019 की तैयारियों को लेकर संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री कमल ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि अमानक बीज एवं खाद रखने वालों के खिलाफ तत्काल पुलिस कार्यवाही करते हुए उनके गोदाम सील किये जाये। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स आज से ही अमानक बीज एवं खाद की जांच हेतु मानीटरिंग करें। बैठक में तय किया गया कि इस बार खरीफ फसल में संभाग में कुल 1821 हजार हेक्टेयर में खरीफ का क्षेत्राच्छादन किया जायेगा। इसमें 337 हजार हेक्टेयर सोयाबीन, 6.9 हजार हेक्टेयर में मक्का, 9.2 हजार हेक्टेयर में ज्वार, 169.2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 1088 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द, 31.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग, 23.3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली, 130 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तिलरामतिल एवं अन्य फसलें बोई जायेंगी।

बैठक में प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, संभागायुक्त श्री आनंद कुमार शर्मा, सहकारिता आयुक्त श्री एमके अग्रवाल, बीज विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री रमेश भंडारी, संचालक कृषि श्री मुकेश शुक्ला, सागर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कृषि विभाग के उप संचालक मौजूद थे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने कहा कि संभाग के जिलों में देखा गया है कि कृषकों द्वारा रासायनिक खाद का अग्रिम उठाव नहीं किया गया है। सभी जिलों के कलेक्टर अपने–अपने जिलों में अग्रिम उठाव योजना का प्रचार–प्रसार करें एवं इसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के कारणों की समीक्षा करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिये विभिन्न उपायों की सतत समीक्षा की जाये एवं कृषि में उन्नत तकनीक, रासायनिक उर्वरक, खेती की लागत को कम करने जैसे उपायों पर जोर दिया जाये। उन्होंने खरीफ फसल में सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग करने का भी व्यापक प्रचार–प्रसार करने को कहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि सोयाबीन की उत्पादकता जब तक 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नहीं होगी, तब तक किसानों के लिये यह लाभकारी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर जिलों में विभिन्न तकनीकों जिनमें रेस्ड बेड सिस्टम, उन्नत बीज आदि को अपनाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने साथ ही यह भी कहा कि खरीफ में सोयाबीन के विकल्प के रूप में अन्य फसलों का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए किसानों को विश्वास में लेकर फसल चक्र में परिवर्तन लाना चाहिये। उन्होंने दालों एवं मोटे अनाज के रकबे में बढोत्तरी के निर्देश दिये हैं।

अमानक सेम्पल पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाये

कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिये कि रासायनिक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के सेम्पल अमानक पाये जाने पर विभिन्न जिलों में कृषि उप संचालकों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वे अमानक सेम्पल पाये जाने पर सम्बन्धित कंपनी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवायें।

बैठक में बीज उपलब्धता की समीक्षा भी की गई तथा निर्देश दिये गये कि जिन जिलों में ज्वार, मक्का आदि के बीजों की कमी है वे पहले से अपनी मांग बीज निगम को भेजे।

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ, पन्ना एवं निवाड़ी जिलों में अऋणी कृषकों का बीमा अत्यधिक कम हुआ था, इसे इस वर्ष बढ़ाया जाये। उल्लेखनीय है कि संभाग में वर्ष 2018 में 253923 ऋणी कृषकों का तथा 6585 अऋणी कृषकों का बीमा करवाया गया। बैठक में फाल आर्मी वर्म के प्रति सतर्क रहने की हिदायत देते हुए जिन क्षेत्रों में मक्का, धान एवं ज्वार की फसलें अधिक ली जाती है, वहां पर कीट नियंत्रण हेतु विशेष नियंत्रण रखने के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा गया है।

सागर कमिश्नर श्री आनंद शर्मा ने संभाग के समस्त कलेक्टर्स से फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास करे साथ ही किसानों की ऋण माफी हेतु शत–प्रतिशत कार्य कर किसानों को कर्ज मुक्त बनाकर उनको मुख्य धारा में जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से पंजाब हरियाणा से आने वाले हारवेस्टर मशीनों को चिन्हित करते हुये उनसे संभाग में कार्य कराने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने समस्त आगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूल भवनों में मुनगा के वृक्ष लगाकर माध्यान्ह भोजन में मुनगा की सब्जी वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने संभाग में पॉलीहाउस एवं आचार्य विद्यासागर गोसंबंधन को उन्नयत करने के निर्देश दिये।

बैठक में सागर कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, 25 ग्राम पंचायतों में सब्जी उत्पादन हेतु प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने ड्रिप के माध्यम से सिंचाई को आगे बढ़ाने हेतु अपनी कार्ययोजना बताई। श्रीमती मैथिल ने जिले में हारवेस्टर चलाने हेतु कार्यशाला आयोजित कर हावेस्टर चलाने के इच्छुक व्यक्तियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही जीवन कौशल विकास केन्द्र की मदद से हावेस्टर क्रय करने हेतु नीति तैयार की जायेगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिये माटी कला बोर्ड में आवेदन आमंत्रित

उज्जैन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन के माटी कला बोर्ड में लाभ लेने के लिये आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये हैं। ज्ञात हो कि जिले के बेरोजगार उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहायक संचालक हाथ करघा, जिला हाथ करघा कार्यालय जिला पंचायत भवन दमदमा में उक्त योजना संचालित है।

माटी कला बोर्ड के जिला अधिकारी ने जानकारी दी कि इस स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक की इकाई लागत के कृतिका शिल्प, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक एवं टेराकोटा शिल्प उत्पाद, ईंट निर्माण, कवेलु निर्माण, ब्लू पॉटरी उत्पाद, मिट्टी के गमले एवं मिट्टी की कलाकृतियां सम्बन्धी माटी कला बोर्ड के ऋण प्रकरण तैयार करने के लिये हितग्राही कार्यालय में सम्पर्क कर योजना सम्बन्धी जानकारी और आवेदन प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करवा सकते हैं।

उक्त योजना के अन्तर्गत इकाई की स्थापना के लिये बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सहमति देने की स्थिति पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत अधिकतम मार्जिन मनी राशि एक लाख रुपये तक का अनुदान और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमी को 30 प्रतिशत अधिकतम राशि दो लाख रुपये तक मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में शासन स्तर पर दी जायेगी। उक्त योजना में सात वर्ष तक पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है। विस्तृत जानकारी के लिये माटी कला बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त योजना के अन्तर्गत इकाई स्थापना के लिये बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सहमति देने की स्थिति पर बीपीएल कार्डधारी सदस्य को 50 प्रतिशत अधिक मार्जिन मनी राशि 15 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी के रूप में शासन स्तर पर दी जायेगी।

घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि योजना

उज्जैन। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अखिल भारतीयध्राज्य प्रशासनिक सेवाओं के उम्मीदवारों के लिये प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपये, संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40 हजार रुपये, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रुपये, संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60 हजार रुपये और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रुपये तथा संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।